राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 325/2024
विपुल चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गौरव सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 16.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार रिको, जिला जयपुर से तहसीलदार, अटरू, जिला बारां किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश के अन्त में निम्न प्रकार से नोट अंकित किया गया है :–

> ''उक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे तुरन्त प्रभाव से कार्य ग्रहण काल का उपभोग किये बिना आवश्यक रूप से नव पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कर अपनी उपस्थिति राजस्व मण्डल की ई–मेल आई–डी पर भिजवाएगें।''

3. उक्त नोट के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को कार्य ग्रहण काल का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिये गये हें, जो

राजस्थान सिविल सेवा(ज्वाईनिंग टाईम) नियम, 1981 के विपरीत है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत समस्त राजकीय कर्मचारियों को ज्वाईनिंग टाईम प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे में बिना ज्वाईनिंग टाईम दिये स्थानान्तरण किया गया है, जो नियमों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का एक पुत्र है, जिसका स्वास्थ्य खराब है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से उसे व्यक्तिगत रूप से कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अपीलार्थी की पत्नी भी जयपुर में ही कार्यरत है। इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. राजस्थान सिविल सेवा(ज्वाईनिंग टाईम) नियम, 1981 का अवलोकन करें तो उसमें स्थानान्तरण आदेश के पश्चात 10 दिन तक कार्य ग्रहण काल के उपयोग किये जाने का लाभ राजकीय कर्मचारियों को दिया गया है। वर्तमान आलोच्य आदेश दिनांक 16.02.2024 को जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अभी तक अपने नये स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी ने वर्तमान में ज्वाईनिंग टाईम की अवधि की हद तक लाभ प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी को ज्वाईनिंग टाईम का लाभ नहीं दिया गया है, तर्कहीन हो जाता है।

6. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. **1991** एस.सी. **532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere*

with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

7. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन होने से कारण इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)